प्रारूप 26

[नियम 53 देखिए]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन

(यदि यान अवक्रय/पट्टा/आडमान) करार के अधीन धारित है तो आवेदन दो प्रतियों में और यदि मूल रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी कोई दूसरा है तो आवेदन तीन प्रतियों में किया जाए, दूसरी प्रति और तीसरी प्रति रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित, प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने पर उसी समय वित्त पोषक और रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी को लौटा दी जाए:––

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी .... मेरे /हमारे मोटर यान का, जिसका रजिस्ट्रीकरण चिह्न .... है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गया है/नष्ट हो गया है/पूर्ण रूप से अपलिखित हो गया है/मैला हो गया है/फट गया है/विकृत हो गया है।

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि यान का रजिस्ट्रीकरण, मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के अधीन निलंबित या रद्द किया गया है और ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियाँ सही हैं। मै/हम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

अपलिखित/मैला/फटा हुआ/विकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।

यान किसी अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के अधीन धारित नहीं है। यान किसी सुपुर्दगी में भी नहीं और वह सभी विल्लंगमों से मुक्त है। मै/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने .... तारीख ....को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के खो जाने के बारे में, इसके खोने की सूचना मिलने क तुरन्त पश्चात पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। (प्रति संलग्न है)।

आवेदेक के हस्ताक्षर/नमूना हस्ताक्षर

* जो लागू न हो असे काट दें।

यान .... के साथ किए गए अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के अधीन धारित है और वित्त पोषक ने इसके नीचे ''आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र'' दे दिया है/देने से इंकार कर दिया है :

(जहाँ ''आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र'' देने से इंकार किया जाता है, वहाँ आवेदन धारा 51 की उपधारा (8) के अधीन यथापेक्षित घोषणा करेगा।)

तारीख .... स्वामी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

नाम ....

पूरा पता ....

टिप्पणी–– (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में परिस्थितियों की पूर्व विशिष्टियाँ दी जाएँ धारा 51(6) के अधीन ''आक्षेप न होने का प्रमाण–पत्र'' देने के लिए वित्त पोषक की सहमति।

मैं/हम ऊपर विनिर्दिष्ट मोटर यान की बावत् अवक्रय/पट्टा/आडमान करार का/के पक्षकार हूँ/हैं।

(1) मुझे/हमें उक्त यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने में कोई आक्षेप नहीं है।

(2) मुझे/हमें नीचे दिए गए कारणों से उक्त यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र दूसरी प्रति जारी करने में ''आक्षेप'' नहीं है।

तारीख .... वित्तपोषक के हस्ताक्षर ....

कार्यालय पृष्ठांकन

निर्देश संख्यांक .... कार्यालय .... जैसा कि ऊपर प्रार्थना की गई है रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति अवक्रय/पट्टा/आडमान करार के टिप्पण के साथ .... को जारी की जाती है और प्रारूप 24 में मूल रजिस्ट्रीकरण अभिलेख में उसे नोट किया जाता है।

तारीख .... रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

....

सेवा में,

वित्त पोषक ....

रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी ....

(उपर्युक्त दोनों पक्षकारों को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाए) .... रजिस्ट्रीकृत यान के स्वामी और वित्त पोषक के नमूना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मूल आवेदन में चिपकाए जाने और रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 23 और 24 में भाासकीय मुद्रा के साथ ऐसी रीति से अनुप्रमाणन के लिए प्राप्त किए जाने है जिससे की मुद्रा या स्टाम्प या अनुप्रमाणन की छाप का कुछ भाग प्रत्येक हस्ताक्षर पर पड़े।

वित्त पोषक के नमूना हस्ताक्षर	रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नमूना हस्ताक्षर
1.	1. ....
2.	2. ....